राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि0) जि0प0 सीकर

सांवली रोड,FCI गोदाम के पास सीकर

क्रमांकः–लेखा / 2016–17 / 521-26 दिनांकः– 17.05.2016

सीमित बोली सूचना
(बोली सं0 01 / 2016–17)

इस कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनांतर्गत बीज मिनिकिट परिवहन हेतु मिनीट्रक / पिकअप किराये पर लेने तथा लोडिंग / अनलोडिंग व्यवस्था हेतु रू 2.00 लाख से कम की सीमित बोली ,सीकर जिलें में वर्ष 2016–17 में "जब आवश्यकता हो के आधार पर "सप्लाई के लिय इच्छुक अधिकृत फर्मो / वाहन मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में, सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य करने के इच्छुक बोलीदाता अपनी दरें दिनांक 02.06.2016 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकतें है। उक्त बोली उसी दिन को दोपहर 4.00 बजे गठित उपापन कमेटी द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। बोली की शर्तें कार्यालय समय में देखी जा सकती है।उक्त बोली को http://SPPP.Raj.gov.in पोर्टल व कृषि विभागिय वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।

(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक कृषि (वि0)
जि0प0 सीकर
Phone-01572274912
Email ID– ddagr_sik@rediffmail.com

क्रमांकः–लेखा / 2016–17 / 521-26 दिनांकः– 17.05.2016

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् संयुक्त निदेश कृषि (विस्तार) कृषि खण्ड, सीकर, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर,कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागिय वेबसाईट पर उक्त बोली अपलोड करावें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / Sppp.Raj.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. विनोद कुमार / गिरराज, भादपुरा सीकर।
5. श्रीकर मल / लादूरमल उदयपुरा सीकर।
6. सांवरलाल मण्डावरा सीकर।

(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक कृषि (वि0)
जि0प0 सीकर

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि0) जि0प0 सीकर

सीमित बोली प्रारूप

1.	बोली प्राधिकारी	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
2.	बोली सूचना सं0	01/2016–17 कमांक..............दिनांक 17.05.2016
3.	बोली प्राप्त करने की दिनांक व समय	02.06.2016 सायं 3.00 बजे तक
4.	बोली खोलने की दिनांक व समय	02.06.2016 सायं 4.00 बजे
5.	धरोहर राशि	4000रू रसीद सं0..........दिनांक........................
6.	बोलीदाता का विवरण	बोलीदाता/प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता .... दूरभाष नं0........................ मो0..............................
7.	कार्य का विवरण	वर्ष 2016–17 मे जब आवश्यकतता होने के आधार पर मिनीकीट परिवहन हेतु लोडिंग वाहन (पिकअप/मिनीट्रक आदि) किराये पर लेने तथा लोडिंग/अनलोडिंग व्यवस्था हेतु।
8.	अनुबंध अवधि	वर्ष 2016–17 मे जब आवश्यकतता होने के आधार पर

प्रस्तावित दरें :–

क0सं0	वाहन का प्रकार	दर सभी कर व अन्य व्यय सहित प्रति कि0मी0	
1.	1.5 टन तक भार क्षमता का वाहन पिकअप/अन्य	50 कि0मी0 तक.........................रू प्रति किमी0	
		100 कि0मी0 तक.........................रू प्रति किमी0	
		100 कि0मी0 से अधिक चलने पर अतिरिक्त प्रति कि0मी0 की दर.............................रू प्रति कि0मी0	
2.	2.5 टन से अधिक भार क्षमता का वाहन	50 कि0मी0 तक.........................रू प्रति किमी0	
		100 कि0मी0 तक.........................रू प्रति किमी0	
		100 कि0मी0 से अधिक चलने पर अतिरिक्त प्रति कि0मी0 की दर.............................रू प्रति कि0मी0	
3.	लोडिंग/अनलोडिंग	प्रति क्विंटल..	

मैने/हमने उपनिदेशक कृषि विस्तार सीकर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई सीमित बोली की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से समझ ली है, तथा मुझे/हमें बोली की समस्त शर्ते मन्जूर है व उनके सभी पृष्ठो पर उल्लेखित शर्तो का मेरे/ हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (वि0) सीकर

वर्ष 2016–17 में लोडिंग वाहन किराये पर लेने हेतु , बोली एवं अनुबंध की शर्तें:–

नोट : बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

बोली पंजिकृत फर्मों / वाहन मालिकों से ही ली जावेगी। अतः इच्छुक बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मोहरबन्ध लिफाफे में बोली बंद की जावे तथा लिफाफे पर **"मिनिकिट परिवहन व्यवस्था हेतु बोली"** लिखकर प्रस्तुत की जावे। खुली निविदा पाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

बोली के साथ धरोहर राशि का डी.डी. उपनिदेशक कृषि वि0 सीकर तथा नकद जमा की स्थिति में रसीद नं0 का उल्लेख करना होगा। **बिना धरोहर राशि के बोली पर विचार नही किया जावेगा।**

बोली की दर पिकअप 1.5 टन व मिनिट्रक 2.5 टन क्षमता की देनी होगी। यह वाहन की न्यूनतम क्षमता मांगी गई है,जबकि मिनिकिट परिवहन अधिक क्षमता का किया जा सकता है। इसकी अलग से कोई मजदूरी एवं किराया व अन्य व्यय देय नही होगा।

दर प्रति कि0मी0 न्यूनतम अलग–अलग तरह से मांगी गई है। जिसमें प्रत्येक स्थिति में न्यूनतम कि0मी0 से अधिक चलने पर अगले न्यूनतम कि0मी0 की दर देय होगी।

वर्ष 2016–17 में बीज मिनीकिट खरीफ,रबी एवं कृषि विभाग की अन्य योजनाओं से संबंधित हो सकते है, जो जिले में सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक या सहायक निदेशक कार्यालय मे पहुँचाने होंगे। परिवहन दरें कच्ची एवं पक्की सभी प्रकार की सड़कों के लिए समान रूप से लागू होगी। बीज परिवहन के कार्य हेतु लोडिंग वाहन पिकअप की आवश्यकतता रहेगी।

बोलीदाता को बोली के साथ आयकर पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

वाहन परिवहन विभाग में गुड्स परमिट के रूप मे पंजियन होना आवश्यक है।

वाहन के सभी प्रपत्र यथा बीमा,रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेंस या अन्य जो वैधानिक रूप से आवश्यक है,वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिए तथा उसके संधारण का व्ययभार भी बोलीदाता को वहन करना पडेगा।

सफल बोलीदाता का ही वाहन के सन्बन्ध मे सभी टैक्स,परमिट इन्स्योरेंस आदि अन्य कोई वैधानिक कर का भुगतान करने का उतरदयित्व होगा।

10. वाहन की दरें प्रति किलोमीटर सभी खर्चे (डीजल, आयल, वाहन, चालक का खर्चा, टोल टेक्स व रात्रि विश्राम आदि) सहित प्रस्तावित की जावे तथा प्रस्तावित दर के अलावा कोई भुगतान नही किया जावेगा व न ही किसी प्रकार का कोई अग्रिम दिया जावेगा।

11. कार्य आदेश मे उल्लेखित स्थान पर वाहन उपलब्ध करवाना होगा। तथा उसी स्थान मे Milometer की रीडिंग प्रारम्भ की जावेगी। वाहन में लगा मीटर सील किया हुआ होना चाहिए तथा इसमे किसी प्रकार की छेड़छाड़ होने पर अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी।

12. वाहन की मरम्मत / नुकसान / चालान आदि होने पर व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा।

13. वाहन दुर्घटनाग्रस्त / क्षतिग्रस्त होने पर इस कार्यालय का कोई दायित्व नही होगा तथा बोलीदाता द्वारा तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।

14. वाहन की लॉग बुक निर्धारित प्रपत्र पर मान्य होगी जिसका नमूना विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। लॉग बुक निर्धारित प्रपत्र मे संधारण किया जाकर, प्रभारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।

15. बोली स्याही पेन / बॉल पेन से अथवा टंकण से भरा ही प्रस्तुत किया जावे। पेन्सिल से भरा हुआ बोली फार्म स्वीकृत नहीं किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पेज पर बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं तथा शर्तों एवं समझौतों पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है।

16. बोलीदाता द्वारा अपनी दरें शब्दो एवं अंको में साफ–साफ लिखी जानी चाहिए। इनमे कोई त्रुटियां / अधरिलेखन नही होना चाहिए / अशुद्धियां होने पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक है।

17. सशर्त बोली मान्य नही होगी। बोलीदाता द्वारा कोई भी संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार होगा। बोली प्रस्तुत करने के बाद सभी बोली की शर्तों व नियमों के लिए बाध्य होगें और किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

18. बोली जारीकर्ता अधिकारी किसी भी बोली को बिना कारण बतायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा बोली शर्तों मे संशोधन करने हेतु सक्षम होगा।

19. निर्धारित समय/अवधि मे कार्य सम्पादन नहीं करने पर व कार्य संतोषजनक नही होने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी एवं हानियों की वसूली की जावेगी।

20. बोली की शर्तों के अनुसार कार्य करने में असफल होने/अनियमितता की शिकायत प्रमाणित पाई जाने पर/ निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नही कराने पर, धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और नियमानुसार निविदा निरस्त की जावेगी व मालिक/ट्रांस्पोटर की रिस्क पर बाजार दर से दूसरी वाहन किराये पर ले ली जावेगी तथा निविदा में स्वीकृत दर तथा दूसरी वाहन मालिक को देय वास्तविक किराये की अन्तर राशि की वसूली बोलीदाता से की जावेगी।

21 परिवहन बोलीदाता अपने ठेके या उसके किसी भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी अथवा व्यक्तियों को नहीं देगा न ही परिवहन करवायेगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा।

22. परिवहन करते समय सामग्री मे कमी अथवा किसी भी कारण यथा चोरी, आग, बाढ या मौसम आदि अन्य कारण से क्षति या नष्ट होने पर क्षति के लिए परिवहनकर्ता ठेकेदार पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगा।

23. बरसात के मौसम मे तिरपाल आदि की व्यवस्था तथा उपर ढकने की व्यवस्था परिवहन ठेकेदार को स्वयं को करनी होगी।

24 दरें वर्ष 31.03.2017 तक मान्य होगी तथा इस अवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।

25. लोडिंग वाहन आवश्यकता होने पर ही मंगवायी जावेगी तथा एक ही दिवस मे एक से अधिक वाहन की आवश्यकता होने पर मांग अनुसार वाहन उपलब्ध करवाने होंगे,इनकी संख्या में कमी/बढोतरी करने हेतु उपनिदेशक कृषि वि0 पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, जिनकी व्यवस्था मांग करने पर बोलीदाता को तुरन्त करनी होगी।

26. बोली में उल्लेखित समस्त कार्यों पर लगने वाले किसी भी प्रकार के राजकीय कर यथा सर्विस कर,आयकर आदि के भुगतान की जिम्मेदारी बोलीदाता की स्वयं की होगी।

27. सफल बोलीदाता को अनुमानित लागत का पाच प्रतिशत प्रतिभूति जमा करवा कर 100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर करार करना होगा। जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि मे कर लिया जावेगा।

28. भुगतान बजट की उपलब्धता एव बिल पारित होने के उपरान्त ही किया जावेगा तथा नियमानुसार स्त्रोत पर TDS की कटौति की जावेगी तथा भुगतान हेतु बिल दो प्रतियो में मय प्रमाणित लॉग बुक संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

29. उपापन कमेटी न्यूनतम प्राप्त दर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नही है एवं निविदा के किसी भाग को बिना कारण बतायें निरस्त कर सकती है।

30. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार मान्य होगी।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 30 तक शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

....

फर्म का मालिक/प्रतिनिधि का नाम..............

पता..

फोन/मो0 नं. ....